झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 369 राँची, सोमवार, 15 चैत्र, 1938 (श०)

4 अप्रैल, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 मार्च, 2016

1. राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-934/रा0प0, दिनांक 04 अगस्त, 2015
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7449, दिनांक-18 अगस्त, 2015 पत्रांक-8427, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 संकल्प सं0-8865, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 एवं संकल्प सं0-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016
3. श्री एहतेशामुल हक, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-87, दिनांक-24 फरवरी, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-52/2015 का॰- 2507--श्रीमती मीना ठाकुर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-440/03, गृह जिला- वैशाली), के संयुक्त सचिव-सह-प्रभारी सचिव, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-934/रा०प०, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित हैं। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

आरोप संख्या-1- झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों की विभागीय टंकण एवं कम्प्यूटर परीक्षा, 2015 के आयोजन से संबंधित संचिका संख्या- 2/रा०प०(परी०)-02/2013 के पृ० 21/टि० पर तत्कालीन सदस्य श्री बी०के० त्रिपाठी, भा०प्र०से० द्वारा कार्यालय प्रस्ताव "टंकण परीक्षा के उपरान्त उत्तर पुस्तिका/टंकित सामग्री के जाँच के लिए अपर सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाय, जिसमें सचिव, राजस्व पर्षद् एवं अवर सचिव, राजस्व पर्षद् होंगे" का अनुमोदन दिनांक 19 जनवरी, 2015 को किया गया था।

परन्तु अपर सदस्य, श्री अशोक कुमार शर्मा, भा०प्र०से० को संचिका या अन्य किसी कागजात के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गयी और दिनांक 05 फरवरी, 2015 को परीक्षा आयोजित करके तथा परीक्षाफल तैयार करके तदेन प्रभारी सचिव, श्रीमती मीना ठाकुर द्वारा परीक्षाफल अनुमोदन हेतु संचिका दिनांक 09 फरवरी, 2015 को अपर सदस्य के समक्ष उपस्थापित की गयी। इस प्रकार श्रीमती ठाकुर द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करके अपने स्तर से ही परीक्षा संबंधी सभी कार्य किया गया, जो उनकी कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।

आरोप संख्या-2 एवं 3- तदेन प्रभारी सचिव, श्रीमती ठाकुर झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों का विभागीय टंकण एवं कम्प्यूटर परीक्षा, 2015 के संचालन के कार्य को नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न नहीं करना चाहती थी, इसलिए इनके द्वारा जानबूझकर प्रश्न चयनककर्त्ता, परीक्षक एवं मुख्य परीक्षक के चयन का प्रस्ताव तत्कालीन सदस्य श्री बी०के० त्रिपाठी, भा०प्र०से० के पास नहीं भेजा गया एवं न ही उनका अनुमोदन प्राप्त किया गया। इनके द्वारा मौखिक रूप से या संचिका पृष्ठांकित कर अपर सदस्य श्री शर्मा को भी सूचित नहीं किया गया जबकि संबंधित संचिका इन्हीं के पास थी। उत्तर पुस्तिकाओं को सिलबंद करने एवं मूल्यांकन कार्य में कार्यवाह सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी को भी इनके द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया एवं मनमाने तरीके से प्रश्न पत्र का चयन किया गया एवं मूल्यांकन कार्य कराया गया। यह कार्य इनके द्वारा निजी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गयी, जिससे परीक्षा की मर्यादा प्रभावित हुई।

आरोप संख्या-4- श्रीमती ठाकुर द्वारा संचिका संख्या-2/रा०प०(परी०)-2/2013 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-36-39/टि० पर अपनी टिप्पणी में अपर सदस्य पर गलत साक्ष्यहीन आरोप लगाया गया है कि इस परीक्षा के संबंध में उनके द्वारा अपर सदस्य को मौखिक रूप से सूचित किया गया था और उनके द्वारा परीक्षा के

संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार उनके द्वारा गलत बयानी करके वरीय पदाधिकारी अपर सदस्य पर साक्ष्यहीन आरोप लगाया गया है।

आरोप संख्या-5- श्रीमती ठाकुर द्वारा कई बार सदस्य, राजस्व पर्षद् के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए बिना उनके अनुमोदन के आदेश पारित किया गया है। उदहारण स्वरूप मात्र तीन-चार दिन मुख्यालय से बाहर रहने पर तत्कालीन सदस्य, राजस्व पर्षद् श्री बी०के० त्रिपाठी, भा०प्र०से० का अनुमोदन प्राप्त किये बिना तदेन प्रभारी सचिव, श्रीमती ठाकुर द्वारा कार्यालय के सभी कर्मियों/पदाधिकारियों का कार्य का आवंटन किया गया था। साक्ष्य स्वरूप राजस्व पर्षद् कार्यालय की संचिका संख्या- 01/रा०प०(स्था०)-41/2008 के टिप्पणी पृष्ठ 67-71/टि० की छायाप्रति पृ० 8-4/प० एवं संबंधित कार्यालय आदेश पृ० 3-1/प० पर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार इनके द्वारा अपने कार्य में स्वेच्छाचारिता बरती गयी है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-7449, दिनांक-18 अगस्त, 2015 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती ठाकुर से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा पत्रांक-8427, दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा अंतिम रूप से स्मारित किया गया। निर्धारित अवधि में इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की दशा में विभागीय संकल्प सं०-8865, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को श्री सिन्हा की सांविदिक अवधि समाप्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प सं0-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा इनके स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री एहतेशामुल हक, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-87, दिनांक 24 फरवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच-प्रतिवेदन में दिये गये मंतव्य का सार निम्नवत् हैं:-

आरोप सं0-1- जब माननीय सदस्य के आदेशानुसार अपर सदस्य को मूल्यांकन कमिटी का अध्यक्ष मान लिया गया तो, इस आशय का कार्यालय आदेश निर्गत किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। आरोप के अन्य बिन्दुओं Why was he not informed के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया है।

<u>आरोप सं0-2, 3 एवं 4-</u> इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी का बचाव बयान स्वतः स्पष्ट है। इन्होंने केन्द्राधीक्षक की हैसियत से परीक्षा का संचालन स्वयं स्तर से किया है।

<u>आरोप सं0-5-</u> आरोप सं०-5 बिना उच्चाधिकारी की अनुमति के कार्यालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटन किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी का उत्तर स्वतः स्पष्ट है।

श्रीमती ठाकुर के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोप पत्र में श्रीमती ठाकुर के विरूद्ध सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मियों की विभागीय टंकण एवं कम्प्यूटर परीक्षा, 2015 के आयोजन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इनके द्वारा क्या अनियमितता बरती गयी है? यदि परीक्षा में अनियमितता हुई थी, तो परीक्षा को क्यों नहीं रद्द किया गया? इससे प्रतीत होता है कि परीक्षा के आयोजन में श्रीमती ठाकुर द्वारा माननीय सदस्य के आदेश के आलोक में अपर सदस्य की अध्यक्षता में किसी कारणवश कमिटी का गठन नहीं किया गया था, परन्तु इसमें उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है। जहाँ तक पर्षद् के कर्मियों के बीच कार्य आवंटन का प्रश्न है, यह आवंटन दिनांक 25 फरवरी, 2015 को श्रीमती ठाकुर के स्तर से किया गया था, जिसे दिनांक 10 मई, 2015 को रद्द कर दिया गया। चूँकि कार्यावंटन आदेश रद्द किया जा चुका है, इसलिए इसके आधार पर इनके विरूद्ध किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। पूरे मामले के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्रीमती ठाकुर एवं अपर सदस्य के बीच कार्य सम्पादन में तालमेल का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया ।

समीक्षोपरान्त, श्रीमती मीना ठाकुर, झा०प्र०से० को सचेत किया जाता है कि सरकारी कार्यों के निष्पादन में वरीय पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों का निष्पादन करेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 369—50 ।